



सत्यमेव जयते

**भारत सरकार**  
**Government of India**  
**राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**  
**National Commission for Scheduled Tribes**  
 (A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. UP/1/2019/STGUP/SEOTH/RU-I

दिनांक: 29.01.2019

सेवा में,

जिला कलेक्टर,  
 जिला - बलिया,  
 (उत्तर प्रदेश)।  
 दूरभाष: 05498 - 220311  
 मोबाइल: 9454417522  
 ईमेल: [dmbal@nic.in](mailto:dmbal@nic.in)

विषय: जिला प्रशासन बलिया द्वारा गोंड अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र न जारी करने के संबंध में, श्री उमेश प्रसाद, ग्राम व पोस्ट - कारो, तहसील व जिला- बलिया, का दिनांक 07.01.2019 का अभ्यावेदन।

- संदर्भ: (1) एनसीएसटी के समसंख्यक सिटिंग नोटिस दिनांक 23.01.2019 जो लोक नायक भवन नई दिल्ली में 11.02.2019 को 12.30 बजे सिटिंग के संबंध में।
- (2) एनसीएसटी के वायलेंस मैसेज संख्या TP/VC/NCST/2019/72 dated 23.01.2019, जो माननीया उपाध्यक्ष, एनसीएसटी द्वारा उत्तर प्रदेश के कई जिलों तथा दिनांक 09.02.2019 को जिला- बलिया, प्रवास के संबंध में है।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करने तथा आयोग के ऊपर वर्णित पत्रों के संदर्भ में यह कहने का निर्देश हुआ है कि माननीय अध्यक्ष, एनसीएसटी द्वारा दिनांक 11.02.2019 को 12.30 बजे की जाने वाली सिटिंग निरस्त की जाती है। श्री उमेश प्रसाद का प्रकरण, माननीया उपाध्यक्ष, एनसीएसटी द्वारा दिनांक 09.02.2019 समय 04.00 बजे जिला- बलिया प्रवास के दौरान जिला मैजिस्ट्रेट, बलिया के साथ विचार विमर्श किया जायेगा। (श्री गौरव कुमार, माननीय उपाध्यक्ष, एनसीएसटी के निजी सचिव, मोबाइल: 9958845891 उपरोक्त विषय पर संपर्क किया जा सकता है)।

(राजेश्वर कुमार)

सहायक निदेशक

दूरभाष-011 24641640

प्रतिलिपि:

श्री उमेश प्रसाद,  
 ग्राम व पोस्ट - कारो,  
 तहसील व जिला- बलिया,  
 (उत्तर प्रदेश)  
 (Mob: 9918782654)

Copy for information to:

1. PS to Hon'ble Chairperson, NCST
2. PS to Hon'ble Vice-Chairperson, NCST
3. Sr. PPS to Secretary, NCST
4. Office of the Joint Secretary, NCST
5. Deputy Secretary (RU-I and IV)
- ✓ 6. NIC (please upload on the Commission's website and also send the e-mail to concerned)